

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नागौर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविना/आरटीई/15-16/9011 दिनांक 25.06.15 के द्वारा नीचे अंकित विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय स्तर की अंग्रेजी की मान्यता प्रदान की गई थी। जिसके अन्तर्गत मान्यता के पश्चात् प्रथम वर्ष में केवल कक्षा पांचवीं तक संचालित किया जाना था। संस्था द्वारा एक ही सत्र 2015-16 में कक्षा 6 व 7, 8 को लगाने की अनुमति हेतु कार्यालय में पत्रावली लगाई गई थी। कार्यालय द्वारा एक ही सत्र में प्रा.वि. तथा उच्च प्रा.वि. की मान्यता जारी करने में संक्षम नहीं होने के कारण श्रीमान निदेशक प्रा. बीकानेर से पत्रांक 1592 दिनांक 06.08.15 द्वारा अनुमति चाही गई थी। तदपश्चात् राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.9(2)शिक्षा-5/मा./प्रा.उप्रा/2005 पार्ट जयपुर दिनांक 18.09.2015 तथा निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी-एफ/19828/मूल मान्यता/2015-16/104 दिनांक 28.09.15 के अनुसार संस्था को सत्र 2015-16 में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) की मान्यता देने के नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए विद्यालय द्वारा अतिरिक्त शुल्क राशि 25000 (पच्चीस हजार) जमा करवाये जाने पर विद्यालय को वर्ष 2015-16 से कक्षा 6 से 8 तक प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई है। अतः राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 एवं समय-समय पर किये गये संशोधन आदेशों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/मूल मान्यता/15-16 दिनांक 16.04.2015 एवं 15.05.15 में दिये गए निर्देशानुसार निम्नांकित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2015-16 से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) माध्यम अंग्रेजी की मान्यता पैनल दल की अभिशांषा तथा अतिरिक्त शुल्क जमा कराने के आधार पर प्रदान की जाती है। राज्य सरकार/विभागीय आदेशों/निर्देशों की पालना न करने एवं विपरीत परिस्थिति पाये जाने पर मान्यता निरस्त की जा सकती है।

सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता रद्द की जा सकती है।

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	मान्यता स्तर/क्रमोन्नति	मान्यता का माध्यम
1.	विवेक टेक्नो स्कूल गोगेलाव	उच्च प्राथमिक (सत्र 2015-16)	अंग्रेजी

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा नागौर
दिनांक 30.09.15

क्रमांक-शिविना/प्रार./सा-1/मान्यता/15-16/160
प्रतिलिपि-

1. श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
2. श्रीमान उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नागौर
4. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा नागौर

Vivek Techno School

Box Manager

Vivek Techno School
GOGELAW (Munaur) Ra.

com2\COM 2 E\ALL OLD DATA\Year 2015\Oct 15\Academic\ARJUN SINGH RTE\07-10-2015

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, नागौर - राज0
कमांक-शिविना/प्रार/सा-1/मान्यता/2015-16/9011 दिनांक:- 25/06/15

विवेक टेक्नो स्कूल, गोगेलाव
पंचायत समिति, नागौर

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार
अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, 2010
के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के
लिए मान्यता प्रमाण-पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 29/04/2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ
पश्चात्तर्वती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं विवेक टेक्नो स्कूल, गोगेलाव पंचायत
समिति नागौर जिला नागौर को वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक तीन वर्ष की अवधि के
लिए कक्षा 01(नर्सरी) से 05 तक के लिए अनतिम मान्यता (माध्यम अंग्रेजी) प्रदान की संसूचना
देता हूँ ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है :-

1. संस्था सत्र 2015-16 में कक्षा 05 तक संचालित करेगी ।
2. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसके किसी भी रूप में कक्षा -5 के पश्चात्
मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।
3. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों
का पालन करेगा ।
4. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) , उस कक्षा में बालकों की संख्या के
25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहिन समूह के बालको को
प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने
तक उपलब्ध कराएगा ।
5. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के
उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूरतियां प्राप्त करने के लिए
विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
6. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या
उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा ।

G.M.

Vivek Techno School

D-All-latter/2010-12

309

Principal
Vivek Techno School
GOGELAW (NAGOUR)

Manager

- 9
7. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा ।
विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
1. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
 2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न से अध्यधीन नहीं किया जायेगा ।
 3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।
 4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा ।
 5. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ।
 6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं । पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ।
 7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ।
 8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों के नियोजित नहीं करेंगे ।
 9. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
 9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं
अ- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
ब- कुल निर्मित क्षेत्र
स- किड़ा स्थल का क्षेत्रफल
द- कक्षाओं की संख्या
य- प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष
र- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय
ल- पेयजल सुविधा
व- मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
ह- बाधारहित पहुँच
स- अध्यापन पठन सामग्री/क्रिया खेल-कूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
 10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी ।

Vivek Techno School

Principal
Manager

D-All-latter/2010-12

Principal

Vivek Techno School

Gurgaon (Haryana)

11. विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।
12. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकृत नियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधिन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है
13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।
14. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवायी जानी चाहिए ।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक.....1309..... हैं । कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें ।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय अधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है । जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें ।
17. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो को सुनिश्चित किया जावे ।
18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्तें ।

भवदीय

G.M.

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक, नागौर
दिनांक:-

क्रमांक:-सम/2015-16/
प्रतिलिपि :-

- 01- ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति, नागौर ।
- 02 - कार्यालय प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक, नागौर

Vivek Technical School

(Signature)
Manager

D-All-latter/2010-12

(Signature)
Vivek Technical School
Manager

311